

## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील /आरटीआई /89 /2020

राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती ,तहसील नगर  
जिला भरतपुर

बनाम

तहसीलदार नगर ।

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

आदेश


दिनांक 11.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2020 के द्वारा तहसीलदार नगर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/706 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा तहसीलदार नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा तहसीलदार नगर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार नगर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नगर को प्रेषित हो। अपीलान्त को भी प्रति भेजी जावे।

  
(नथरुण डडेल)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर